प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) चेन्नै का कार्यालय
"लेखापरीक्षा भवन", 361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै - 600 018

सं.प्रनिलेप(के)/प्रशा./युनिट-I/11-04/2021-22/29 दि.13.06.2021

विषय- कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपाय –के संबंध में।

परिपत्र सं. 07

तामिलनाडू सरकार के जीओ संख्या 394 दिनांक 05.06.2021 पर आधारित इस कार्यालय के दिनांक 06.06.2021 के परिपत्र संख्या 6 के अनुक्रम में एवं तामिलनाडू सरकार की दिनांक 11.06.2021 की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 263 को ध्यान में रखते हुए ,यह कार्यालय 30 प्रतिशत की स्टाफ शक्ति के साथ कार्य करता रहेगा। इस संबंध में, स्थानीय सरकार के निर्देशों का पालन करने की कार्यालयों को सलाह देने वाले मुख्यालय के दिनांक 06/05/2021 के पत्र को ध्यान में रखते हुए निम्न निर्देश जारी किये जाते है :

1. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) का कार्यालय, चेन्नै ,शाखा कार्यालय मदुरै सहित 18.06.2021 तक 30 प्रतिशत की स्टाफ शक्ति के साथ कार्य करते रहेंगे। लेखापरीक्षा पार्टी सदस्य आवश्यकता एवं संबंधित ग्रूप अधिकारियों से विशिष्ट निर्देशों के आधार पर कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।
2. अधिकारी /कर्मचारी जिन्हें एक विशिष्ट दिन पर कार्यालय जो घर से कार्य कर रहे है,उन्हें सदा(सभी समयो पर) संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों एवं टेलीफोन पर उपलब्ध रहना होगा। उन्हे किसी भी परिस्थितियों में अपने छुट्टी मंजूरी प्राधिकारी से आवश्यक छुट्टी/अनुमति लिए बिना स्टेशन नही छोडना चाहिए।
3. यदि आवश्यकता हो तो, अधिकारी एवं कर्मचारी जिन्हे "आवश्यक सेवा" देने की आवश्यकता है उनके संबंध में आदेश उचित समय पर अलग से अधिसुचित किये जायेंगे।
4. वे कोविड -19 प्रबंधन के संबंध में, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन करेंगे।

ये आदेश 18.06.2021/ अगले आदेश तक लागू रहेंगे। रोस्टर की सॉफ्ट कॉपी को सूचना के लिए प्रशासन को चिन्हित किया जाए।

(प्रनिलेप(के) के दिनांक 13.06.2021 के आदेशानुसार)

हस्ता/-
उपनिदेशक/प्रशासन

प्रति
अंग्रेजी रूपांतरण के अनुसार